2.2

संख्या–23/02(04)/15-20..

प्रेषक,

शैलेश बगौली।
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग
उत्तराखण्ड।

ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी 2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण के उपरान्त निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण के उपरान्त संलग्न विवरणानुसार विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्तानुसार प्रदान की जा रही प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष यदि किसी कार्य का आगणन शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है तो विषयगत कार्य का आगणन प्रचलित व्यवस्था एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप गठित कर निदेशक, ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के हस्ताक्षरोपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से आगणन की वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ किया जायेगा।

3– यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य के सापेक्ष कोई अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत अथवा किसी अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि विषयगत कार्यो के सापेक्ष कोई कार्य पूर्व से स्वीकृत है अथवा अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

258 / आर-07/ पत्रांक दिनांक: 25-2-15

FAX NO. : 0091 1368 222704 Feb. 21 2013

2.2

			हिंडोला... चारधा) ...(जनपद अल्मोड़ा)	1.20	127.45
		ताकुला	ताकुला–गणानाथा मोटर मार्ग से ग्राम सभा आवला तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	231.84
	5	बसौलीखाना	अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पुनाकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	265.50
	6	लमगड़ा	जैंती–पीपली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम तल्ला भट्यूड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	2.40	195.17
	7	धौलादेवी	काफलीखान–पनोली–दशौला मोटर मार्ग से ग्राम बड़ियार तक मोटर मार्ग का निर्माण	[illegible].775	211.80
	8	हवालबाग	अल्मोड़ा–बागेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के बुलकानी से ग्राम धूरसौं तक मोटर मार्ग का निर्माण	14.725 / [illegible].475	1172.52 / 227.92
	1	कर्णप्रयाग ✓	कर्णप्रयाग नौटी मोटर मार्ग से मल्ला गैरोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	1.375	164.36
	2	घाट ✓	धतुर गैड़ा से मथकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	1.725	167.35
	3	दशोली ✓	गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर जी0आई0सी0 सकेर से देवीधार मंदिर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	284.80
	4	ना0बगड़ ✓	तारमगाड़ से कांटमिला–रेई मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	311.92
	5	थराली ✓	ग्वालदम –चिडिंगा मार्ग से भाकुना पाटला मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	282.06
	6	देवाल ✓	ल्वाड़ी से इज्जरपाट मोटर मार्ग का निर्माण	.80	262.23
	7	पोखरी ✓	कर्णप्रयाग पोखरी मार्ग से रौमी ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.375 / .40	1700.64 / 139.00
चम्पावत	1	पाटी	[illegible] मोटर मार्ग से रूजान गाँव मोटर मार्ग	1.625 / [illegible].35	111.49 / 263.60
	2	लोहाघाट	[illegible] से कोलीधार तक मोटर मार्ग		
	3	लोहाघाट	[illegible] ग्रामीण मोटर मार्ग से पालखान [illegible] मार्ग	7.84	105.54
	4	चम्पावत	[illegible] मोटर मार्ग		

ह0/ अपठनीय

अपर सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
चमोली

Attachement 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नाम जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 हे0 सिविल, 0.404 हे0 वन पंचायत, कुल 1.344 हे0 वन भूमि का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आज दिनाँक 19/7/15 को ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के [illegible] वन विभाग की ओर से श्री बुद्धि बल्लभ देवराड़ी, वन दरोगा , राजस्व विभाग की ओर से श्री देवी [illegible] पुरोहित, राजस्व उपनिरीक्षक , प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री श्याम सुन्दर, अपर सहायक अभियन्ता, अन्य दावेदारों की ओर से स्थानीय ग्रामीण तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में ग्राम प्रधान के द्वारा प्रस्तावित परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक [illegible] समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें [illegible] (मी0) नाप भूमि से, 1145 (मी0) सिविल भूमि से, 375 (मी0) वन पंचायत से, वन भूमि प्रभावित [illegible] इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.207 हे0 नाप भूमि, 0.940 हे0 सिविल, 0.404 हे0 वन पंचायत, वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.344 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता [illegible] इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 43 वृक्ष मेहल, सुरई, चीड़, उतीस, फल्याट प्रजाति [illegible] परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से ..... बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 25 मी0 नाप भूमि, 1500 [illegible] सिविल वन भूमि, 425 मी0 वन पंचायत भूमि, प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल [illegible] हे0 नाप भूमि, 1.050 हे0 सिविल, 0.297 हे0 वन पंचायत, वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें [illegible] हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर [illegible] वृक्ष मेहल, सुरई, चीड़, बांज, उतीस, फल्याट प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित [illegible] जिनमें से [illegible] बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य [illegible] उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा वन पंचायत भूमि पर मोहल, सुराई, चीड़, उतीस, फल्याट प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.4 है। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का जी0पी0एस0 मान 30 4' 43.83" उ0, 79 25' 39.44" पू0 है तथा यह स्थल बारनगाड़ से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल कोटमिला है जिसका जी0पी0एस0 मान 30 4' 15.80" उ0, 79 25' 30.91" पू0 है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच़ के स्थलों का जी0पी0एस0 मान 29 52' 59.70" उ0, 79 55' 44.79" पू0 हैं।

चयनित समरेखन में शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी0 1 में स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका जी0पी0एस0 मान 30 4' 33.40" उ0, 79 25' 39.44" पू0 / 30 4' 44.49" उ0, 79 25' 39.46" पू0 हैं।

प्रधान ग्राम पचायत ... हस्ताक्षर ... दिनांक 3-7-... वि0ख0 नारायणबगड़

वन क्षेत्राधिकारी
असेड़ सिमली रेंज
नारायणबगड़
(वन विभाग प्रतिनिधि)

SDMr
उपजिलाधिकारी (थराली)

राजस्व उप निरीक्षक कुलसारी
(राजस्व विभाग प्रतिनिधि)
तहसील थराली
जनपद चमोली

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
चमोली (गोपेश्वर)

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

तहसीलदार
थराली
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भू०सं० वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण
वन प्रभाग-गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
थराली, चमोली

Attachement 2.7

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 हे0 सिविल, 0.404 हे0 वन पंचायत, कुल 1.344 हे0 वन भूमि का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

[illegible]	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
[illegible]	आरक्षित वन भूमि	--	--	--
[illegible]	सिविल सोयम भूमि	1145.00	7.00	0.802
[illegible]	वन पंचायत भूमि	375.00	7.00	0.263
[illegible]	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)			
	वन भूमि का योग	**1520.00**		**1.065**
[illegible]	नाप भूमि	230.00	9.00	0.207
	कुल योग	**1750.00**		**1.272**

1.279

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
चमोली, (गोपेश्वर)

...के विकासखण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत बारगाड़ – कोटमिला

Attachement 2.32

...पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

...जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 हे0 सिविल, 0.404 हे0 वन पंचायत, कुल 1. 344 हे0 वन भूमि का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

...किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक ... स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है ... सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

...भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी ...

उप जिला अधिकारी
थराली (चमोली)

जिलाधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।